न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–221/2016

निर्णय दिनांक:–22.06.2020

उनवान

1.विशाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी करेडा बुर्जुग तहसील निवाई जिला टोंक

2.मीनाक्षी देवी धर्मपत्नि योगेश मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी प्लॉट नम्बर, प्रताप नगर, जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1.गीता देवी धर्मपत्नि स्व0 रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम करेडा बुर्जग तहसील निवाई जिला टोंक

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलंदार निवाई जिला टोंक

–अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र अन्तर्गत 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वाके ग्राम करेडा बुर्जग की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता सं. 185 में प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र रामचन्द्रा, गीता पत्नि रामचन्द्रा, गुड्डी पुत्री रामचन्द्रा वगै0 सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें बद्रीलाल पुत्र रामचन्द्रा के स्थान पर विशाल पुत्र रामचन्द्र एवं गुड्डी पुत्री रामचन्द्रा के स्थान पर मीनाक्षी पुत्री रामचन्द्र शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसे मूल ही तहसीलदार निवाई को वास्ते रिपोर्ट प्रेषित किया गया। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट प्राप्त। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अवलोकन किया जाकर प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वाके ग्राम करेडा बुर्जुग की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता सं. 185 में प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र रामचन्द्रा एवं गुड्डी पुत्री रामचन्द्रा सा. दहे खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे विशाल पुत्र रामचन्द्र एवं मीनाक्षी पुत्री रामचन्द्र शुद्ध किया जाकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जावे।

जिसके सम्बन्ध में नायब तहसीलदार दत्तवास एवं पटवारी हल्का करेडा बुर्जुग द्वारा फर्द जॉच मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं प्रार्थी के निवेदन के आधार पर सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नायब तहसीलदार दत्तवास एवं पटवारी हल्का करेडा बुर्जुग की रिपोर्ट अनुसार बद्रीलाल के स्थान पर विशाल एवं गुड्डी के स्थान पर मीनाक्षी अकिंत किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि नायब तहसीलदार की अभिशंषा अनुसार प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 185 संवत् 2070–2073 वाके ग्राम करेडा बुजुर्ग में बद्रीलाल पुत्र रामचन्द्रा खातेदार के स्थान पर विशाल पुत्र रामचन्द्र एवं गुड्डी पुत्री रामचन्द्रा के स्थान पर मीनाक्षी पुत्री रामचन्द्र दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22/6/2020

जे.पी. बैरवा

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner